

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
बोइराम पुत्र खैराम अर्वा परेवा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	188 / 2021	GCMS No. 221/918
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
25/11/2021	<p>वादी श्री <u>बोइराम</u> पुत्र <u>खैराम</u> जाति <u>अर्वा</u> निवासी <u>परेवा</u> द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैंप ग्राम पंचायत <u>परेवा</u> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत <u>2073-2074</u> ग्राम <u>परेवा</u> पटवार मण्डल <u>परेवा</u> के खाता नम्बर <u>142</u> मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि <u>बोइराम पुत्र खैराम</u> दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम <u>बोइराम अर्वा खैराम</u> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर <u>2814 3873 5401</u> मतदाता पहचान पत्र <u>R57251 156/53 489</u> अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी <u>परेवा</u> भू.अ.नि. एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)



864-86